

समान अवसर कानून है

संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले इस प्राप्तकर्ता के लिए निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव करना कानून के विरुद्ध है: संयुक्त राज्य में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जाति, रंग, धर्म, लिंग (गर्भावस्था, प्रसव और संबंधित चिकित्सा स्थितियों, लिंग सहित) के आधार पर लिंग रूढ़िबद्धता, ट्रांसजेंडर स्थिति, और लिंग पहचान), राष्ट्रीय मूल (सीमित अंग्रेजी प्रवीणता सहित), आयु, विकलांगता, या राजनीतिक संबद्धता या विश्वास, या, शीर्षक I के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों में आवेदक या प्रतिभागी के किसी भी लाभार्थी के खिलाफ कार्यबल नवप्रवर्तन और अवसर अधिनियम (Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA), व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति या किसी भी कार्यबल नवप्रवर्तन और अवसर अधिनियम (Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA) शीर्षक I- वाले वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त कार्यक्रम या गतिविधि में भागीदारी के आधार पर।

संघीय वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के साथ किए जाने वाला संचार दूसरों के साथ किए जाने वाले संचार जितना ही प्रभावी हो। इसका मतलब यह है कि, अनुरोध करने पर, और व्यक्ति से बिना कोई शुल्क लिए, प्राप्तकर्ताओं को योग्य विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त सहायक सहायता और सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

यदि आपको ऐसा लगे की आपके साथ भेदभाव हुआ है तो क्या करें

यदि आपको लगता है कि आपके साथ कार्यबल नवप्रवर्तन और अवसर अधिनियम (Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA) शीर्षक I - आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कार्यक्रम या गतिविधि के तहत भेदभाव किया गया है, तो आप इस घटना के 180 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता के समान अवसर अधिकारी या प्राप्तकर्ता द्वारा नामित व्यक्ति के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतें रोजगार विकास विभाग (Employment Development Department) या श्रम विभाग के नागरिक अधिकार केंद्र को यहां भेजी जा सकती हैं:

**Equal Opportunity Officer
Employment Development Department (EDD)
PO Box 826880, MIC 83
Sacramento, CA 94280**

या

**Director, Civil Rights Center (CRC), Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N-4123
Washington, DC 20210**

शिकायतें रोजगार विकास विभाग (Employment Development Department, EDD) को **EEOmail** (EEOmail@edd.ca.gov), पर ईमेल द्वारा या श्रम विभाग, **Civil Rights Center** (dol.gov/crc) के निर्देशानुसार भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

यदि आप प्राप्तकर्ता के पास अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको नागरिक अधिकार केंद्र (Civil Rights Center, CRC) में शिकायत दाखिल करने से पहले तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि प्राप्तकर्ता **अंतिम कार्रवाई की लिखित सूचना** जारी न कर दे, या 90 दिन बीत चुके हों या जो भी पहले हो (ऊपर पता देखें)।

यदि प्राप्तकर्ता आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के 90 दिनों के भीतर **अंतिम कार्रवाई की लिखित सूचना** नहीं देता है, तो आपको नागरिक अधिकार केंद्र (Civil Rights Center, CRC) में शिकायत दर्ज करने से पहले प्राप्तकर्ता द्वारा उस नोटिस को जारी करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपको अपनी नागरिक अधिकार केंद्र (Civil Rights Center, CRC) शिकायत 90-दिन की समय सीमा के 30 दिनों के भीतर दर्ज करनी होगी (दूसरे शब्दों में कहे तो, जिस दिन आपने प्राप्तकर्ता के पास अपनी शिकायत दर्ज की थी, उसके 120 दिनों के भीतर)।

यदि प्राप्तकर्ता आपको आपकी शिकायत पर **अंतिम कार्रवाई की लिखित सूचना** देता है, लेकिन आप निर्णय या समाधान से असंतुष्ट हैं, तो आप नागरिक अधिकार केंद्र (Civil Rights Center, CRC) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको अंतिम कार्रवाई की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी नागरिक अधिकार केंद्र (Civil Rights Center, CRC) शिकायत दर्ज करनी होगी।